पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
'kfDr Hkou] 14&v'kksd ekxZ
y[kuÅ & 226 001
bZ&esy% office.md@uppcl.org
☎ : 0522&2288377

पत्र सं.: 3415/सी.एम.यू.डी./एस.ई.–1/2025 दिनांक: 27 नवम्बर, 2025

विषयः उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं वितरण कम्पनियों में स्क्रैप के चिन्हीकरण एवं निस्तारण हेतु नीति।

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
[md@puvvnl.in/md@mvvnl.org/md@dvvnl.org/
md@pvvnl.org/mdkesco@kesco.org.in]

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं विद्युत वितरण निगमों में निष्प्रयोज्य विद्युत सामग्री एंव मशीनरी के चिन्हीकरण एवं निस्तारण नीति (Scrap Disposal Policy) निम्नवत हैः–

स्क्रैप चिन्हीकरण एवं निस्तारण नीति (आई.टी. स्क्रैप को छोड़कर)

1. उद्देश्य :–

"स्क्रैप चिन्हीकरण एवं निस्तारण नीति" स्क्रैप सामग्री की पहचान एवं उसके समयबद्ध निस्तारण हेतु रूपरेखा प्रदान करती है, जिससे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार समयबद्ध तरीके से स्क्रैप निस्तारण (Disposal) सुनिश्चित हो सके। यह नीति कार्यालय रिकार्डस की विडिंग (Weeding), कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, कार्यालय रद्दी, वाहनों एवं भवनों/Civil structures के लिए लागू नहीं है।

2. स्क्रैप आधार एवं उत्तरदायित्व

2.1 स्क्रैप चिन्हीकरण का आधारः–

यूपीपीसीएल/डिस्कॉम की परिसंपत्तियों में वितरण लाइनें, पावर एवं वितरण परिवर्तक इत्यादि शामिल हैं। सामग्रियों का स्क्रैप के रूप में चिन्हांकन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगाः–

(i) ऐसी मशीनरी एवं सामग्री जो अनुपयोगी हैं।
(ii) वितरण प्रणाली में स्थापित सामग्री लगातार ओवरलोड़िंग, लाइटनिंग इत्यादि के विद्युत और यांत्रिक प्रभाव में रहते हैं जिसके कारण सामग्री अपने जीवन काल के दौरान विद्युत/यांत्रिक दोष से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी क्षतिग्रस्त सामग्री जो मरम्मत योग्य नहीं रह गयी है।
(iii) ऐसी सामग्री जिनके स्पेयर पार्ट्स वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
(iv) ऐसी सामग्री जो वर्तमान में अप्रचलित (Obsolete) हो गयी है।
(v) खाली केबिल ड्रम, खाली आयल ड्रम आदि।

2.2 स्क्रैप चिन्हीकरण के लिये उत्तरदायित्व निर्धारणः–

कार्यों के क्रियान्वयन के उपरान्त साइट से प्राप्त, भण्डार में जमा करायी जाने वाली सामग्री की मात्रा तथा भार का आंकलन एवं सामग्री की स्थिति के आधार पर उसके प्रयोग योग्य होने अथवा स्क्रैप के रूप में वर्गीकृत करने का कार्य सम्बन्धित जनपद के सहायक अभियन्ता (भंडार) एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (वितरण/परीक्षण/मीटर/कार्यशाला/कार्यखण्ड) द्वारा किया जायेगा। जमा करायी गयी सामग्रियों एवं उनके वर्गीकरण की जाँच प्रत्येक माह नियमित रूप से अधिशासी

अभियन्ता (भण्डार) द्वारा की जायेगी। यदि जमा करायी गयी सामग्रियों की श्रेणी (पुनः प्रयोग योग्य अथवा स्क्रैप) में कोई भिन्नता पाई जाती है तो अधिशासी अभियन्ता (भण्डार) द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण/मीटर/कार्यशाला/कार्यखण्ड) के साथ संयुक्त रूप से श्रेणी परिवर्तन पर निर्णय समय–समय पर लिया जायेगा।

जहां पर Urban Restructuring व्यवस्था लागू है वहां पर सम्बन्धित वर्टिकल/यूनिट (वितरण/परीक्षण/मीटर/कार्यशाला/कार्यखण्ड) के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा अधिशासी अभियन्ता (भण्डार) के साथ उपरोक्तानुसार प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

2.3 स्क्रैप का मूल्यांकनः–

स्क्रैप के निस्तारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) की अध्यक्षता में स्क्रैप निस्तारण समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगाः–

क्रम सं0	स्क्रैप निस्तारण समिति/Scrap Disposal Committee (SDC)	
1	अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), डिस्काम	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (भण्डार)	सदस्य एवं संयोजक
3	वित्त अनुभाग के प्रतिनिधि (निदेशक वित्त, डिस्काम द्वारा नामित उप मुख्य लेखाधिकारी अथवा वरिष्ठ स्तर के अधिकारी)	सदस्य

स्क्रैप सामग्री का विवरण संकलित कर अधिशासी अभियन्ता (भंडार) द्वारा स्क्रैप के आरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ धातुवार चिन्हित स्क्रैप (स्टील, एल्युमीनियम और कॉपर) सामग्रियों की सूची (भार सहित) एवं अन्य स्क्रैप का विवरण तथा ई0आर0पी0 पर स्टॉक से मिलान की आख्या समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

समिति के पास प्रस्ताव से सहमति, आंशिक सहमति एवं असहमति का विकल्प उपलब्ध होगा। समिति प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर उपरोक्तानुसार निर्णय लेगी।

2.4 उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त स्क्रैप के आरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाएगीः–

(i) पोल, वी.सी.बी., मीटरिंग यूनिट, केबिल, कन्डक्टर, खाली केबिल ड्रम, खाली आयल ड्रम, मीटर स्क्रैप तथा अन्य अप्रयोज्य सामग्रियों के स्क्रैप के आरक्षित मूल्य निर्धारण के लिए अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति उत्तरदायी होगी।

(ii) कुछ लॉट अथवा सामग्री (यथा बड़े आकार के जटिल सयंत्र, विभिन्न जनपदों में स्थापित पुराने सूक्ष्म पावर हाउस के सयंत्र, डीजल जनरेटर, अन्य जटिल उपकरण इत्यादि) की प्रकृति ऐसी हो सकती है, जिनका मूल्यांकन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव न हो। ऐसे मामलों में स्क्रैप का मूल्यांकन किसी सक्षम एवं मान्यता प्राप्त व्यावसायिक मूल्यांकनकर्ता (Professional Valuer) से कराया जा सकेगा। इस हेतु निर्णय निदेशक (तकनीकी) के अनुमोदन से लिया जाएगा।

(iii) व्यावसायिक मूल्यांकनकर्ता का चयन, अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) द्वारा सीमित निविदा के माध्यम से भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं (जिनके द्वारा professional तरीके से scrap disposal का कार्य किया जाता है, जैसे MSTC आदि) में पंजीकृत/सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं में से किया जायेगा।

(iv) व्यावसायिक मूल्यांकनकर्ता के प्रकरण में, अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित SDC द्वारा मूल्यांकनकर्ता द्वारा किये गये मूल्यांकन का परीक्षण किया जायेगा तथा संतुष्ट होने पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण करते हुये नीलामी हेतु अग्रिम प्रक्रिया की जाएगी।

(v) सामग्रियों के निस्तारण के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के उपरान्त, बिना समिति के अनुमोदन के किसी भी प्रस्तावित स्क्रैप सामग्री/लॉट को निस्तारण सूची से वापस नहीं लिया जाएगा।

2.5 स्क्रैप निस्तारण समिति (SDC) के कार्यः–

(i) अधिशासी अभियन्ता, भण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रपत्रों का परीक्षण करने के साथ समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सूचीबद्ध सामग्री के डिस्काम में उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गई है।

(ii) स्क्रैप हेतु प्रस्तावित सामग्री के सम्बन्ध में समिति Due-diligence करते हुये यथा आवश्यकता सामग्री का सत्यापन भंडार जाकर कर सकती है। बड़े व Sensitive lots के लिये समिति को भौतिक सत्यापन करना चाहिये।

(iii) सामग्रियों के स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया में उचित एवं अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार की सामग्रियों का अलग–अलग लॉट तैयार किया जाए। जैसे–एल्युमीनियम का लॉट, कॉपर का लॉट, ए.बी. केबल का लॉट, केबल का लॉट, पोल का लॉट तथा लोहे का लॉट आदि। प्रत्येक लॉट को व्यवस्थित एवं समुचित प्रकार से रटैक कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, जिससे उचित मूल्यांकन हो सके।

(iv) धातुवार स्क्रैप (यथा एल्यूमीनियम, कॉपर, लोहा, स्टील इत्यादि) की मात्रा एवं भार का मिलान ई0आर0पी0 पर उपलब्ध अभिलेखों से यथा–आवश्यकता किया जाना चाहिए।

(v) निस्तारण प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं समुचित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु संबंधित स्थल पर CCTV के माध्यम से 24×7 रिकॉर्डिंग कराई जाए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लॉट की सुस्पष्ट फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी इस प्रकार की जाए कि सामग्री की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। सीसीटीवी, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहीत रखा जायेगा।

2.6 आरक्षित मूल्य (Reserve Price) का निर्धारणः–

(i) समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं के आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा :–

(a) अन्य डिस्कॉम/विभागों में सम्पन्न नवीनतम नीलामी में समान प्रकार के स्क्रैप का प्राप्त मूल्य।

(b) धातुओं के स्क्रैप का बाजार मूल्य, समाचार पत्र एवं इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त नवीनतम मूल्य।

(c) समान प्रकार के स्क्रैप के एमएसटीसी या अन्य e-ASP (e-Auction Service Provider) द्वारा प्रकाशित नवीनतम नीलामी में प्राप्त मूल्य।

(ii) स्क्रैप सामग्री का आरक्षित मूल्य निर्धारण प्रति यूनिट (संख्या, लंबाई या भार) की दर से निर्धारित किया जाए और यदि वास्तविक मात्रा का मापन संभव न हो तो मूल्यांकन लॉट के आधार पर किया जाए।

(iii) पावर परिवर्तक के प्रकरण में प्रत्येक परिवर्तक का आरक्षित मूल्य का निर्धारण उसमें उपलब्ध कॉपर, कोर, आयरन इत्यादि की मात्रा के आधार पर अलग–अलग स्वतन्त्र रूप से किया जाए।

(iv) समिति द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारण के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) द्वारा ई–नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।

3. ई–नीलामी एवं स्क्रैप का निस्तारण

3.1 ई–नीलामीः–

(i) नीलामी भारत सरकार की अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से की जायेगी। जैसे– MSTC, IBBI इत्यादि।

(ii) नीलामी, जहां है जैसा है (As is where is) के आधार पर की जाएगी। नीलामी में भाग लेने वाली फर्मों के पास सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (भण्डार)/सहायक अभियन्ता (भण्डार) के पर्यवेक्षण में स्क्रैप को देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(iii) नीलामी में धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.) आरक्षित मूल्य (Reserve Price) का 10 प्रतिशत निर्धारित की जायेगी। धरोहर धनराशि ऑनलाइन जमा करायी जायेगी।

(iv) नीलामी में प्राप्त दरों का अनुमोदन, स्क्रैप निस्तारण समिति (SDC) द्वारा किया जायेगा।

(v) बोलीदाता (Buyer) द्वारा आरक्षित मूल्य से कम मूल्य Quote करने पर समिति (SDC) के पास 10% तक कम मूल्य पर नीलामी करने का विकल्प एस.टी.ए. (Subject to Approval) के रूप में उपलब्ध रहेगा। एस.टी.ए. 10 (दस) प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा।

(vi) स्क्रैप नीलामी की प्रक्रिया को यथासंभव पूर्वाह्न में सम्पादित किया जाए। नीलामी संबंधी निर्णय समिति द्वारा नीलामी के दिन ही लिया जाए और बोली से संतुष्ट होने की दशा में उसी दिन e-ASP (e-Auction Service Provider) द्वारा सफल बोलीदाता को सेल इंटीमेशन लेटर (Sale Intimation Letter) जारी किया जाए।

3.2 भुगतान प्रक्रियाः–

(i) समस्त भुगतान ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।

(ii) सामग्री का विक्रय स्वीकार होने के पश्चात् नीलामी के दिन ही सफल फर्म द्वारा मूल नीलामी मूल्य का 15 % भुगतान किया जायेगा। अग्रेतर 35 % भुगतान अगले 03 दिवसों (Calendar Days) में किया जायेगा।

उक्त धनराशि (15%+ 35% = 50%) जमा होने के पश्चात् बिना किसी विलम्ब के सेल आर्डर निर्गत किया जायेगा। क्रेता फर्म द्वारा शेष 50% देय धनराशि का भुगतान समस्त करों/जी. एस.टी. सहित, सेल आर्डर निर्गत होने की तिथि से 04 दिवसों (Calendar Days) के अंदर एकमुश्त जमा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार नीलामी की तिथि के सात (0+3+4) दिनों (Calendar Days) में पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

(iii) भुगतान हेतु अनुमन्य दिवसों की गणना कैलेन्डर दिवसों के आधार पर की जायेगी। उक्त गणना में प्रत्येक प्रकार के अवकाश दिवस सम्मिलित माने जायेंगे क्योंकि online payment सभी दिनों में उपलब्ध होता है।

(iv) सामग्री विक्रय मूल्य की पूर्ण धनराशि जमा करने के 48 घण्टे (02 Working days) के अन्दर अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) द्वारा डिलेवरी आर्डर निर्गत किया जाएगा।

(v) उपरोक्त नियत अवधि में यदि क्रेता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो नियत अवधि के उपरान्त शेष धनराशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ पूर्ण धनराशि जमा की जायेगी, जिसकी अधिकतम समय–सीमा तीन (03) दिन होगी। तत्पश्चात् भी पूर्ण धनराशि जमा न होने पर समिति द्वारा जमा धनराशि जब्त करते हुए नीलामी निरस्त करने का आदेश निर्गत किया जाएगा।

(vi) नीलामी में सफल फर्म को छोड़कर अन्य सभी फर्मों की जमा अग्रिम धरोहर (ई.एम.डी.) धनराशि को सेल आर्डर निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर वापस कर दिया जायेगा।

3.3 स्क्रैप को उठाये जाने की प्रक्रियाः–

(i) डिलेवरी आर्डर निर्गत होने की तिथि से 07 दिनों के अंदर नीलाम हुई सामग्री भण्डार से उठायी जाएगी। यदि स्क्रैप सामग्री की मात्रा अत्यधिक हो और समिति यह उचित समझती है कि उपरोक्त संपूर्ण स्क्रैप सामग्री को 7 दिनों में उठाया जाना संभव नहीं है, तो उक्त समय–सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 15 दिवस तक निर्धारित कर सकती है।

(ii) सामग्री उठाये जाने का प्रारम्भ पूर्ण भुगतान के पश्चात ही अनुमन्य होगा। किसी भी दशा में बिना पूर्ण भुगतान के, सामग्री उठाया जाना प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

(iii) क्रेता फर्म द्वारा विक्रय मूल्य की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त यदि सामग्री निर्धारित अवधि में नहीं उठायी जाती है तो बिक्री मूल्य के 1.0 प्रतिशत प्रति दिवस की दर (बिक्री मूल्य की अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक) से विलम्ब शुल्क (Demurrage) फर्म द्वारा देय होगा। 10 दिन बाद भी पूर्ण सामग्री नहीं उठाये जाने पर, पूर्ण जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

(iv) सामग्रियों को उठाये जाने का कार्य, सम्बन्धित जनपद के सहायक अभियन्ता (वर्कशाप) एवं सहायक अभियन्ता (भण्डार) के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। उक्त सहायक अभियन्ताओं का दायित्व होगा कि नीलामी में धातुवार सामग्रियों की जो मात्रा व भार निर्धारित है उतना ही धातुवार मात्रा व भार नीलामी में फर्म द्वारा उठाया जाये और इसके प्रमाणस्वरूप धर्मकांटे की रसीद और Weighing प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ (भार के प्रमाण सहित) संरक्षित रखी जाएं।

(v) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (भण्डार), द्वारा नीलामी के उपरान्त नीलामी में सफल फर्म से निर्धारित स्क्रैप सामग्री के पूर्ण रूप से उठाए जाने के पश्चात नो क्लेम सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा तथा फर्म की जमा धरोहर (ई.एम.डी.) धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं subsidiary वितरण कम्पनियों में स्क्रैप के निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ। [chairman@uppcl.org]
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0), उ0प्र0 पा0का0लि0 ||director_p@uppcl.org/directorfin@uppcl.org/directord@uppcl.org/ directorcomm@uppcl.org/ directorcp@uppcl.org directorit@uppcl.org/]
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 पावर कारपोशन लिमिटेड, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/ अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/ मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (भंडार), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता (वेब), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।